

अपीलांत:-
 श्री नरपतसिंह भाटी पुत्र भीकसिंह भाटी,
 माध्यम श्री राजेन्द्र सांखला, 301, रामविला,
 कल्पवर्क्ष गली, लोहाखान, अजमेर

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 81 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00 217

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुला या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश हो।</p>	
31/7/19	<p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर अपीलांत द्वारा घोषित सूचना उपलब्ध करने हेतु लोक सूचना अधिकारी (A.D.M) पाली को निवेदन किया गया है।</p> <p>इस न्यायालय से लोक सूचना अधिकारी (A.D.M) पाली को लिखा जाते पर उन्होंने अपील फांफेक रा. लो. सू. सी.पी. 81/2019/1361 डि. 30-7-2019 के द्वारा आग्रह कराया कि उनके द्वारा अपीलांत को घोषित सूचना जम्हे फांफेक रा. लो. सू. सी.पी. 162/2019/1222 डि. 25/6/2019 के अपीलांत को उपलब्ध करा दी गई है। इस कारण अपील प्रकार का निस्तारण करवाये।</p> <p>राज लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अपीलांत को उपलब्ध करा दिए जाते से इस प्रकार से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह सकी जाती लिहाजा अपील अपीलांत द्वारा स्टा या वरक की जाती है।</p> <p>पत्रावली शुभारंभ के लिये है। इस न्यायालय से जम्हा से कम है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	